संख्याः 761/एक-10-2020-33(221)/2011टी0सी

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2020

विषयः-केन्द्रीय दल, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार के जनपद भ्रमण के दौरान सम्पन्न मॉक एक्सरसाइज व अन्य कार्यक्रम में हुये व्यय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-454/आपदा-2020, दिनांक 07.11.2020, जिसके माध्यम से जनपद भ्रमण के दौरान सम्पन्न मॉक एक्सरसाइज व अन्य कार्यक्रम में हुये व्यय के भुगतान हेतु धनराशि रू0 5,34,152/-की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय दल, एन.डी.एम.ए. भारत सरकार के सफल भ्रमण तथा जनपद द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा मित्रों के माध्यम से किये जा रहे कार्यो को प्रदर्शित करने में हुए व्यय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **धनराशि रू0 5,34,000/-(रूपये पॉच लाख चौंतीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	मद	स्वीकृत धनराशि
1	**आपदा मित्र रिफ्रेशर ट्रेनिंग** एन.डी.एम.ए. द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपदा मित्रों द्वारा मॉक एक्सरसाइज कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 13 से 16 अक्टूबर 2020 तक 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय।	1.73
2	**मॉक एक्सरसाईज (17 अक्टूबर 2020)** अतिथियों एवं आंगतुकों के बैठने, समस्त विभागों तथा राहत एवं बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी हेतु स्थापित टेन्ट, मेज, कुर्सी, वीआईपी सौफा, मैटिंग आदि पर व्यय	2.04
3	**कार्यशाला का आयोजन** एन.डी.एम.ए. द्वारा प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार समस्त हितभागियों के साथ एनेक्सी भवन, सर्किट हाउस में आयोजित बैठक पर व्यय।	0.30
4	**डाक्यूमेन्ट्री फिल्म** जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आपदा मित्रों को सशक्त किये जाने हेतु किये गये प्रयासों तथा आपदा मित्रों द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर वीडियो डाक्यूमेन्ट्री का केन्द्रीय टीम द्वारा लोकार्पण एवं प्रस्तुतीकरण पर व्यय।	0.59
5	**आपदा मित्र/स्वयं सेवकों का यात्रा भत्ता** 04 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न तहसीलों से आये प्रतिभागियों के यात्रा पर व्यय।	0.68
	योग-(रूपये पांच लाख चौतीस हजार मात्र)	**5.34**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6)– राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या –761/एक–10–2020–33(221)/2011टी0सी, तद्दिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– मण्डलायुक्त गोरखपुर।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, उ0प्र0।
7– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-27/11/2020

प्रेषण संख्या:- 761
आवंटन आदेश संख्या:- 192-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	534000 684000	534000 684000
	योग	वर्तमान प्रगामी	534000 684000	534000 684000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख चौंतीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: लाख चौरासी हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-27/11/2020

प्रेषण संख्या:- 761
आवंटन आदेश संख्या:- 192-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	534000 684000	534000 684000
	योग	वर्तमान प्रगामी	534000 684000	534000 684000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख चौंतीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: लाख चौरासी हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं ... राहत आयुक्त संगठन उ०प्र० शासन